

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाउधरी
 बनावत ~~बिजेन्द्र कुमार देवदिया~~
 मुकदमा संख्या / वर्ष : 277 / 2021

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/12/23	पत्रावली पेश
	21/12/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता पितेन्द्र कुमार जोरकर व उत्तिवादी अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा हाजिर। जर्जना - पट्ट अन्तर्गत धारा - 10 CPC पर अदालत द्वारा फैसला किया। जिससे मूल वाद में कार्यवाही बंद होगी। मूल वाद में कार्यवाही रोक जाने के कारण प्रा. पत्र शर्मा के भी कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली वाद तत्काल पाठ्यलय दफ्तर हो। (बिजेन्द्र कुमार देवदिया) उपस्थित (अधिवक्ता)

फर्द अहकाम

बनाम _____
 : _____ / 20 _____

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण